Purva Mimaansa
A Multi-disciplinary Bi-annual Research Journal
(Double Blind Peer Reviewed)

Vol. 9 No. 1-2, March-Sep. 2018
ISSN : 0976-0237
UGC Approved Journal No. 40903

ग्रामीण महिला आरक्षण की वास्तविकता: पुष्पा मैत्रेयी की कलम से

डॉ० आराधना

सारांश

भारतीय संविधान स्त्री सशक्तीकरण के लिए कटिबद्ध है। समय–समय पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबर खड़ा करने के लिए आवश्यक अधिकार तथा अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा नित नए कानून बनाए जाते हैं परन्तु पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का पोषक समाज स्त्रियों को मिले अधिकारों को पुरुषों के हक में पलट देता है। संविधान में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण तो प्रदान कर दिया है परन्तु शक्ति और अधिकार को पुरुषत्व से जोड़कर देखने वाली मानसिकता किसी भी रूप में स्त्री का वर्चस्व स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। आरक्षण के कारण प्रत्यक्षतः तो पुरुषों को सत्ता का एक भाग छोड़ने पर विवश होना पड़ता है परन्तु परोक्ष रूप से आज भी वे अपना आधिपत्य बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उत्तर प्रदेश में 2015 में होने वाले ग्राम प्रधान चुनावों में 44 प्रतिशत पदों पर महिलाओं ने कब्जा कर लिया। उनकी यह सफलता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि समाज बदल रहा है परन्तु यह आंकड़े अत्यन्त भ्रामक है क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए गठित समिति की बैठकों में कुछ महिला प्रधानों को तो बुलाया ही नहीं गया और बैठकों में महिला प्रधानों के पतियों का ही कब्जा रहा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कुछ गाँव में तो निर्वाचित महिला सरपंचों की जगह उनके पतियों ने शपथ ली। कुछ एक अपवादों को छोड़कर आज भी वास्तविक सत्ता 'सरपंच पतियों' के हाथ में है। प्रस्तुत शोध पत्र में पुष्पा मैत्रेयी की तीन कहानियों द्वारा ग्रामीण सरपंचों की बेबसी, समस्याओं, सामाजिक स्थिति तथा स्वतन्त्र निर्णय लेने की चाह को समझने का प्रयास किया गया है। ज़मीनी सच्चाई से साक्षात्कार कराती ये कहानियाँ पंचायती राज व्यवस्था में स्त्री आरक्षण की आड़ में सत्ता तथा धन प्राप्ति के लिए स्त्री को कठपुतली की तरह नचाते, राजनीति का घटिया खेल खेलते पुरुषों का वास्तविक चेहरा उजागर करती हैं।

73 वें संविधान संशोधन में स्त्री सशक्तीकरण की दिशा में एक नया तथा महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया जिससे पंचायती राज व्यवस्था को एक नया रूप देने का प्रयास किया गया। वह कदम था–ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना। इस संशोधन के पीछे की सोच अत्यन्त सकारात्मक थी। इससे सत्ता के गलियारों में स्त्रियों के हस्तक्षेप की संभावनायें बढ़ी। इस संशोधन का मूल उद्देश्य था, ग्रामीण महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी देना, शिक्षा में रूचि जागृत करना, आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करना। ऐसा सोचा गया था कि आरक्षण के कारण मिले

सहायक प्रवक्ता, गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज फॉर विमैन, सैक्टर – 26, चण्डीगढ़।

अधिकारों का प्रयोग करके स्त्रियाँ समाज तथा गांव के विकास में हाथ बँटायेंगी, घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर आत्मविश्वासी तथा आत्मनिर्भर बनेंगी। कागज़ी स्तर पर तो यह संशोधन स्त्रियों के हित में था परन्तु भारत की पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा इस संशोधन का कितना दुरूपयोग हुआ इसका कच्चा चिट्ठा खोलती हैं पुष्पा मैत्रेयी की कहानियाँ। ये कहानियाँ ज़मीनी सच्चाई से साक्षात्कार करवाती है। महिला आरक्षण की वास्तविकता को उघाड़ती है। ग्रामीण संदर्भों, ग्रामीण स्त्रियों की बेबसी, समस्याओं तथा मुक्ति की चाह को विभिन्न कोणों से देखने तथा समझने का प्रयास करती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा महिला आरक्षण की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जा रही है उसकी पोल खोलती हैं पुष्पा मैत्रेयी की तीन कहानियाँ – 'शतरंज के खिलाड़ी, 'आरक्षित' तथा 'फैसला'।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री को दोयम दर्जा प्रदान किया जाता है। इस सामाजिक सरंचना में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले नीचा स्थान दिया जाता है। उन्हें निर्णय लेने, अपने पैरों पर खड़ा होने का अधिकार नहीं मिलता। पत्नी को अपने पति या परिवार की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उससे सुघड़ गृहिणी बनने की अपेक्षा की जाती है। बच्चे पालना, भोजन बनाना, घर साफ करना, पानी लाना, लकड़ी इकट्ठी करना जैसे काम उसके हिस्से आते हैं। संस्कार, चरित्र तथा लाज जैसे शब्द उसके लिए ही गढ़े गये हैं। उसे नख–शिख तक सुहाग चिह्नो से बांध दिया जाता है। ऐसी सामाजिक संरचना में पंचायतों में महिलाओं को दिए जाने वाला आरक्षण पुरुष समुदाय को फूटी आँख नहीं सुहाता। 'शतरंज के खिलाड़ी' नामक कहानी का पात्र कामता कहता है, ''पर औरत तो बगलगीर ही सोहती है। सरकार कंधे पर बिठाए चाहे मूँड पर।''[1] भारतीय ग्रामीण समाज में अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी तथा अच्छी माँ बनना ही उसकी योग्यता का एकमात्र पैमाना है। ऐसे समाज में औरत का गाँव के प्रधान पद पर बैठना पुरुषों को अपनी हेठी लगता है। नत्थू सिंह का निम्न संवाद ग्रामीण पुरुषों की इसी मानसिकता का परिचायक है, ''यह सरकार भी ससुरी शहर में बैठकर गाँव के लिए कानून पास करती रहती हैं, आँख–कान मुंदे रहते हैं। मंत्री–संत्रियों के। अरे .... यहाँ रहें, देखें, तब तो पता चले कि जवान पट्ठे तो अपनी अस्मत बचा नहीं पा रहे औरत किस खेत की मूली है?बगल में चाँप ले जाएगा कोई तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। और जवान सुघड़ औरत तो वैसे ही बीच बाज़ार लुट जाएगी।''[2]

सरकारी फरमान जारी हो जाने के बाद महिला प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करना पुरुषों की मजबूरी बन गया है परन्तु पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पले–बढ़े पुरुष सरकार के इस वार का तोड़ निकालना भी जानते हैं। औरत चुनाव तो लड़ती है परन्तु उनके पीछे संरक्षणकर्ता होता है घर का पुरुष। इस दृष्टि से 'आरक्षित, कहानी के पात्र 'पिंकू' का संवाद दृष्टव्य है, ''बड़ी भोली हो अम्मा सिर्रिन (पगली) तुम नहीं तुम्हारा तो बस नाम खड़ा हो रहा है। असल में औरत का नाम चाहिए न। अपने गांव की सीट महिला उम्मीदवार के लिए रिज़र्व है।''[3] वास्तविक लड़ाई तो पुरुषों की है। कौन सी स्त्री चुनाव में खड़ी होगी यह निर्णय तो पुरुषों की बैठक में लिए जाते हैं। स्त्री प्रत्याशी शतरंज का मोहरा मात्र होती है। स्वंय खड़े न हो पाने की मजबूरी में गांव के प्रभावशाली व्यक्ति अपनी–अपनी पत्नियों को खड़ा कर देते हैं। वे जानते हैं कि उनकी पत्नियाँ उनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठायेंगी। 'शतरंज के खिलाड़ी' कहानी में गांव का ठाकुर पीतम सिंह अपनी पत्नी सुशीला देवी को उसकी इच्छा के विरुद्ध खड़ा करता है तो दूसरी ओर गाँव का एक अन्य

प्रतिष्ठित पुरुष धनपाल कुर्मी अपनी पत्नी कोमला देवी को। 'आरक्षित' कहानी में सत्ता हथियाने के लालच में बाप–बेटा दोनों ही अपनी–अपनी पत्नियों को उनकी मर्जी के बगैर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। 'फैसला' कहानी में रनवीर नाम गाँव के ब्लाक प्रमुख की शातिर बुद्धि का कमाल देखिए कि पत्नी बसुमती को चुनाव में खड़ा कर वह प्रमुख तथा प्रधान दोनों पदों पर काबिज़ होने का प्रयास करता है।

चुनाव में खड़ी करने के लिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पले–बढ़े पुरुषों को पढ़ी–लिखी समझदार प्रत्याशी से खासा परहेज़ है। महिला प्रत्याशी में जो गुण ये चाहते हैं वे हैं – अशिक्षित, अँगूठा छाप, सीधी–सादी गऊ सी औरत। कारण पढ़ी लिखी समझदार औरत इनको मनमानी नहीं करने देगी। अपने हक के लिए आवाज़ उठायेगी। इन्हें तो ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो मिट्टी का माधो हो। जो बेजुबान गाय की तरह इनके खूँटे से बँधी रहे, जो प्रधानी के मायाजाल में न फँसे, जो इनके कहे अनुसार कागज़ों पर अँगूठा लगाती रहे। 'शतरंज के खिलाड़ी' में जब मास्टरानी को खड़ा करने का सुझाव आता है तो सभी पुरुष पात्र एक मत से यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं। ''बात को समझा करो। मास्टरानी का क्या करेंगे हम?[4]'' जब नत्थू सिंह विकरम नामक औरत को खड़ा करने की बात करता है तो पीतम सिंह का संवाद, ''अरे नहीं–नहीं वह तो बड़ी तेज़ औरत है। घूँघट में से अहलकारों को रिझा लेगी''[5]भारतीय पुरुष मानसिकता का चित्रण करता है। इसी प्रकार 'आरक्षित' कहानी में जब पिंकू की माँ अपनी पढ़ी लिखी बहू को चुनाव में खड़ा करने की बात करती है तो उसका पति साफ इन्कार कर देता है। कारण, ''बहू हुशियार है। परदे में ही फोन लगाकर जेठ–ससुर से बात कर लेती है।''[6]

गाँव की दीवारों पर चिपके चुनावी इश्तिहारों पर अगर ध्यान दें तो भारतीय ग्रामीण सामाजिक सरंचना में औरत की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। सुशीला देवी – पत्नी पीतम सिंह, कोमला देवी – पत्नी धनपाल कुर्मी, सुशीला देवी – माता रघुवीर सिंह, श्रीमती रामरसिया – दादी दीपकराय, जानकी बाई – काकी गोविन्द सिंह। स्पष्ट है यहाँ औरतें अपने घर के पुरुषों के नाम से पहचानी जाती हैं और तो और इश्तिहारों पर औरतों के स्थान पर दाढ़ी–मूछें वाले आदमी की तस्वीर और भी अधिक व्यंग्यात्मक है। ये इश्तिहार भारतीय ग्रामीण महिला को मिले आरक्षण के अधिकार के दुरूपयोग की पोल खोलते हैं।

चुनाव जीतने के बाद औरतों को मिलने वाले अधिकार तथा स्त्री सशक्तीकरण की वास्तविकता को भी पुष्पा मैत्रेयी ने उघाड़ा है। 'फैसला' कहानी की नायिका बसुमती का संवाद इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, ''वे प्रमुख बने तो बंदिशों में कुछ और कसावट आ गई और जब मैं स्वयं प्रधान बन गई तो उनकी प्रतिष्ठा कई–कई गुना ऊँचे चढ़ गई।''[7] यह संवाद भारतीय सामाजिक व्यवस्था की विडम्बना का चित्र प्रस्तुत करता है। बसुमती ने गांव के विकास के लिए जो स्वप्न देखे थे उसका पति उन पर घड़ों पानी उँड़ेल देता है। उसे गांव की औरतों से दूरी बनाए रखने की हिदायतें मिलने लगती है। स्त्रियों के बुलावे पर पंचायत जाने के लिए घर से बाहर निकली बसुमती को उसका पति घर वापिस जाने के लिए बाध्य कर देता है, ''पंचायती चबूतरे पर बैठती तुम शोभा देती हो?लाज–लिहाज मत उतारो। कुल परम्परा का ख्याल भी नहीं रहा तुम्हें। औरत की गरिमा आड़–मर्यादा में ही है।''[8] इसी प्रकार 'आरक्षित' कहानी में चुनाव जीतने के बाद जब मटल्लू की पत्नी शपथ–ग्रहण के लिए विकास खंड मोठ के दफ्तर में घूँघट ओढ़ कर जाती है तब अफसरों के एतराज करने पर उसका पति उसे घूँघट ऊँचा करने का निर्देश देता है। शपथ ग्रहण

Vol. 9 No. 1-2, March-Sep. 2018
ISSN : 0976-0237
UGC Approved Journal No. 40903

के पश्चात् साधना यादव उर्फ मटल्लू की बहू मन ही मन घूँघट न डालने का इरादा करती है। उसे लगता है कि प्रधान बनने के पश्चात् उसके हिस्से का रोशनी का द्वार खुल गया है परन्तु उसी समय मटल्लू का संवाद, ''ऐ सध्धो। दद्दा और बड़े भइया आ गए हैं, आड़ कर लो। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। चलो घर''[9] – भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति का दिग्दर्शन कराता है।

पत्नी को घर की चौखट पर खड़ा होने की भी मनाही करने वाले पुरुष पत्नी को घर–घर जाकर प्रचार करने के लिए मजबूर करते हैं। ग्राम विकास के लिए सरकारी खजाने में मिले पैसों का मनमाना उपयोग करते हैं। अपराधियों को सरंक्षण देते हैं। प्रभावशाली लोगों के हक में न्याय को उलट देते हैं। 'फैसला' कहानी के पात्र रनवीर के माध्यम से लेखिका ने इस वास्तविकता का उद्‌घाटन किया है। बसुमती ग्राम विकास के लिए बहुत से सपने संजोती है। गाँव का चमचमाता स्कूल, पक्की गलियाँ, झोपड़ों को सँवारना, गरीबों के लिए दवा–दारू जुटाना, बेरोज़गारों को नौकरी दिलवाना; परन्तु उसका पति रनवीर एक ही झटके में उसके इन सपनों को झाग की तरह बिठा देता है। जवाहर रोज़गार योजना से मिले पैसों से वह अपनी गली पक्की करवाता है। बसुमती देवी के सपनों के घरौदें का कण–कण बिखर जाता है। गाँव की औरतों की आँखों में उगते सवाल, उससे न्याय पाने की उम्मीद उसे परेशान कर डालती हैं। उसका पति गाँव के हित में किए गए उसके निर्णय को उलट देता है। अपराधियों से रिश्वत लेकर उन्हें शरण देता है। बसुमती द्वारा विरोध करने पर जवाब मिलता है, ''सुन ले और समझ ले अपनी औकात। मजबूरी में खड़ी करनी पड़ी तू। मैं दो–दो पदवी नहीं रख सकता था एक साथ। सोचा था, पत्नी से अधिक भरोसेमंद कौन ....।''[10]

पुष्पा मैत्रेयी की ये तीनों कहानियाँ पाठकों के हृदय को झँझोड़ती हैं। पुरुष प्रधान समाज ने सदा ही स्त्रियों को अपने संदर्भ में परिभाषित किया है। यह तो हज़ारों वर्षों से चली आ रही एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में स्त्री पुरुष के अधीन है। मूल्यों के स्खलन के विरुद्ध उसकी आवाज़ को सदा से दबाया जा रहा है। भारतीय पुरुष सदा से मनमानी करता आ रहा है। प्रश्न है स्त्री कब तक अपने कंधों पर ढोएगी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की खतरनाक योजनाओं का भार?कब तक अपमानित तथा आंतकित होती रहेगी?कब तक वह चाँद का उत्सव मनाती रहेगी?कब तक उसे दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद मिलता रहेगा?क्या वह कभी स्त्री विरोधी साज़िशों के विरुद्ध डट कर खड़ी होगी?

लेखिका ने ग्रामीण स्त्री की दयनीय सामाजिक स्थिति का चित्रण करने के साथ–साथ ग्रामीण महिला की मनःस्थिति में आ रहे बदलाव की ओर भी संकेत किया है। 'फैसला कहानी की नायिका बसुमती एक सशक्त ग्रामीण महिला बनने की दिशा में कदम उठाती दिखाई गई है। वह प्रत्यक्षतः पुरुषों के विरुद्ध जाने में तो असमर्थ है परन्तु सरकार द्वारा मिले मतदान के अधिकार द्वारा अपने पर होने वाले अत्याचारों तथा पारिवारिक दबावों के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करती है – प्रमुख के चुनाव में एक बार फिर से खड़े अपने पति के स्थान पर विपक्षी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालकर। उसे अपने कर्तव्यों, अधिकारों तथा अस्मिता का अहसास है। बसुमती एक ऐसा पात्र है तो उम्मीद जगाता है कि भारतीय महिला का वर्तमान न सही परन्तु भविष्य अवश्य सुनहरा होगा। वह बदलेगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी। शिक्षा के दीपक के सहारे वह आगे बढ़ेगी। बसुमती यानि स्वतन्त्र भारत की ग्रामीण महिला को सदा के लिए बौना बनाकर नहीं रखा जा सकता। वह इस गलित व्यवस्था में परिवर्तन लाएगी। नारी के आँचल को परचम में बदलने की मजाज़ की

कामना अवश्य पूरी होगी।

संदर्भ

1) पुष्पा मैत्रेयी, समग्र कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण 2015 पृ–505
2) वही, पृ – 508
3) वही, पृ – 321
4) वही, पृ – 507
5) वही, पृ – 507
6) वही, पृ – 521
7) वही, पृ – 526
8) वही, पृ – 521
9) वही, पृ – 525
10) वही, पृ – 535

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Jain, L.C, Grass without roads: Rural Development under Government Auspices, Sage Publications, New Delhi 1985.
2. Khanna, R.L, Panchayati Raj In India, The English book shop, Chandigarh, 1956.
3. Khanna, R.L, Panchayat Raj in Punjab and Haryana, Mohindra Capital Publishers Chd, 1966.
4. Kaur, Satnam, Women in Rural Development, Mittal Publications, New Delhi, 1987.
5. Mathur, M.V. & Narain Iqbal, Panchayati Raj Planning And Democracy, Asia Publishing house, Bombay, 1969.
6. पुष्पा मैत्रेयी, समग्र कहानियाँ, किताबघर प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण 2015